न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1222/2021

CNR No.UPGD010023602021

राजेन्द्र यादव आयु करीब 23 वर्ष पुत्र राममिलन यादव निवासी ग्राम मठन्न पुरवा मौजा बनुआ थाना उमरीबंगमगंज, जिला–गोण्डा।

.... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–250/2020,
धारा–411, 413 भा0दं0सं0
थाना–परसपुर, जिला–गोण्डा।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–250/2020, अन्तर्गत धारा–411, 413 भा0दं0सं0, थाना–परसपुर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार ने शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियुक्त की ओर से अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है दिनांक दिनांक 06.09.2020 को उप निरीक्षक उमेश कुमार वर्मा रात्रिगस्त व संदिग्ध अपराधियों की चेकिंग में खैरा बंधा पर मामूर थे कि मुखबिर द्वारा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पसका घाट पर चोरी गई मोटरसाइकिल एक व्यक्ति लेकर वृन्दावन की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास करके बताये स्थान पर मोटरसाइकिल का इन्तजार करने लगे कि सामने से एक व्यक्ति तेजी से मोटरसाइकिल चलाकर आते दिखा तथा पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल को तेजी से घुमाकर भागना चाहा कि मोटरसाइकिल का पहिया फिसल जाने के कारण मोटरसाइकिल सहित वह व्यक्ति गिर गया। पुलिस वाले गिरे हुए व्यक्ति को पकड़े तथा नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र यादव बताया तथा यह भी बताया कि उसके पास यह मोटरसाइकिल चोरी की है जो दिनांक 02.09.20 को सरजू घाट पसका से चोरी किया था, जिसे बेचने हेतु ले जा रहा हूँ। पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा त्रिशुल आकार की चाभी बरामद हुआ। पकड़ा गया व्यक्ति तमंचा, कारतूस का लाइसेन्स नहीं दिखा सका। पकड़े गये व्यक्ति के पास से मोटरसाइकिल स्पेलण्डर प्रो यू0पी0 43 वी 1256 का कागजात मांगने पर बताया कि यह चोरी की मोटरसाइकिल है। पकड़े गये व्यक्ति ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले बनुआ चौराहे से एक सुपर स्पेलेण्डर काली रंग की बिना नम्बर की चोरी की गयी

मोटरसाइकिल ग्राहक न मिलने के कारण नहीं बिकी थी, जिसे बंधे पर भट्ठे के पास तरकुल में छिपाकर रखा है, जिसे वह बरामद करा सकता है।

उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 06.09.2020 को समय 06.10 बजे अपराध संख्या 250/2020 अन्तर्गत धारा 411, 413 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त राजेन्द्र यादव के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी विलम्ब से पुलिस द्वारा कायम करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे व निशानदेही से कोई अवैध वस्तु की बरामदगी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.09.2020 से जेल में निरूद्ध है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को वर्चुअल न्यायालय के माध्यम से सुना तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट व फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र यादव से दिनांक 06.09.2020 को मुकदमा अपराध संख्या 249 सन् 20 अन्तर्गत धारा 379, 411 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित मोटरसाइकिल यू0पी0 43 वी 1256 स्पेलण्डर प्रो0 बरामद होना कहा गया है तथा इसी अनुक्रम में उसके कब्जे से एक अद्द तमंचा 12 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 249/20, अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना–परसपुर गोण्डा पंजीकृत हुआ। इस प्रकार थाने की आख्या के अनुसार जो दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास बताया गया है, वे वर्तमान में प्रकरण के ही फर्द बरामदगी से सम्बन्धित हैं। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी होना अंकित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 06.09.20 से कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस स्तर पर मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए, जमानत के पर्याप्त आधार हैं। तदैव आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजेन्द्र यादव का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की तरफ से मु0 01,00,000/–(एक लाख) रुपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(मयंक कुमार जैन)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।

दिनांक–07.06.2021

Digitally signed by Mayank Kumar Jain
Date: 2021.06.07 14:05:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court